तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/01/26	पत्रावली पेश हुई P.O. Sb बून्दी मिटिंग में पधारे है। वास्ते साबिक कार्यवाही पत्रावली दिनांक 29/01/26 को पेश हो। [signature]	
29-1-26	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उप. प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी की स्वयं की भूमि पर आने जाने हेतु कोई रास्ता नही है प्रार्थी द्वारा सिवायचक भूमि से आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया प्रार्थी नियमानुसार राजकोष में राशी जमा कराने को तैयार है. पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर तहसीलदार इन्द्रगढ़ की मौका रिपोर्ट उपलब्ध है जिसके अनुसार प्रार्थी को मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है. विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली रहे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला—बून्दी(राज0)

83 / दावा / 2025
दायरा दिनांक 16.09.2025

पीठासीन अधिकारी
श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी(**RAS**)

बउनवान

1. धर्मराज दीवान पुत्र रामप्रताप दीवान जाति रैगर निवासी माजीपुरा जयपुर जिला जयपुर। —प्रार्थी

बनाम

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 —अप्रार्थी

अधिवक्ता — श्री महेन्द्र रेबारी एडवोकेट (वादी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट

दिनांकः— 29.01.2026

—निर्णय—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 796 / 1 रकबा 2.50 हैक्टर वाके ग्राम डांगाहेडी पटवार हल्का उतराना तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के खाते दर्ज है। प्रार्थी कि उक्त भूमि पर आने जाने के लिए वर्तमान में कोई सरकारी रास्ता उपलब्ध नही है तथा मौके पर खसरा संख्या 805 एव 1054 / 1035 जो कि सरकारी सिवायचक भूमि से प्रार्थी की कृषि भूमि पर जाने के लिए चालू रास्ता उपलब्ध है चूंकि उक्त रास्ता सिवायचक कृषि भूमि में होकर जाता है तथा रिकार्ड मे दर्ज नही है इसलिए उक्त रास्ते को कभी भी कोई भी बन्द कर सकता है जिससे प्रार्थी की भूमि पर आने जाने के लिए रास्ता कभी भी बन्द हो सकता है। प्रार्थी अपनी उक्त खसरा संख्या 796 / 1 की भूमि पर आने जाने के लिए उक्त खसरा संख्या 805 एवं खसरा संख्या 1054 / 1035 मे से 20 फुट चौडा रास्ता चाहता है जिससे कृषि कार्य के लिए उपयोग में आने वाले संसाधनों जैसे ट्रेक्टर ट्रोली आदि से अपनी भूमि में कृषि कार्य हंकाई जुताई कर सके। प्रार्थी अपनी उक्त खसरा संख्या 796 / 1 की भूमि में आने जाने के लिए 20 फुट चौडे रास्ते के बदले अपनी भूमि में से जितनी भूमि रास्ते के लिए दी जायेगी उतनी भूमि सरकार को देने के लिए तैयार है अथवा जो भी नियमानुसार राशि राजकोष मे जमा हो वह प्रार्थी जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने स्वंय की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु सरकारी रिकार्ड में रास्ता उपलब्ध कराने के लिए कई बार तहसील कार्यालय में निवेदन किया लेकिन प्रार्थी की कोई सुनवाई नही हुई जिससे प्रार्थी रास्ते बाबत न्यायालय की शरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में स्थायी रूप से रास्ता नियमानुसार उपलब्ध करवाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार इन्द्रगढ़ को जर्ये नोटिस तलब किया गया एंव अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार से मौके एंव रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की ग्राम डागाहेडी में खसरा संख्या 796 / 1 रकबा 2.50 हेक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रार्थी की भूमि पर आने जाने हेतु वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नही है प्रार्थी को खसरा संख्या 805 रकबा 0.65 हैक्टर एंव खसरा संख्या 1054 / 1035 रकबा 15.996 हैक्टर सिवायचक भूमि में से रास्ता दिया जाने की अनुशंषा की गई है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही होना बताया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

हमारे द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव भूमिधारी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका एंव रिकार्ड का अवलोकन किया गया कि प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 796/1 रकबा 2.50 हेक्टर कृषि भूमि ग्राम डांगाहेडी में मौके पर वर्तमान में कोई वैकल्पिक रास्ता नही होना तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया गया है तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस के मुताबिक खसरा संख्या 1060/787 गै0मु0रास्ता, खसरा संख्या 1058/780 गै0मु0रास्ता, खसरा संख्या 1055/794 गै0मु0रास्ता, खसरा संख्या 1052/1035 गै0मु0रास्ता, खसरा संख्या 805 सिवाचयक की मेड तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना पाया जाता है। प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 805 रकबा 0.65 हैक्टर सिवायचक तत्पश्चात खसरा संख्या 1054/1035 रकबा 15.996 हैक्टर में से रास्ता चाहा गया है जो प्रार्थी की खाते की कृषि भूमि की मेड से लगता है। सिवायचक भूमि में रास्ता 5 मीटर की चौडाई मे दिये जाने से खसरा संख्या 805 में से 100 मीटर लम्बाई कुल क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर एंव खसरा संख्या 1054/1035 में से 36 मीटर लम्बाई कुल क्षेत्रफल 180 वर्गमीटर उक्त दोनो खसरो से प्रस्तावित रास्ते में 680 वर्गमीटर कृषि भूमि उपभोग में आयेगी जो नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से दर्शाया हुआ है राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 14.06.2013 के प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 (क) राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 30.09.2021 एंव तहसीलदार इन्द्रगढ़ की मौका रिपोर्ट के अनुसार सुखाधिकार के तहत रास्ता दिया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 (क) राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 30.09.2021 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 796/1 रकबा 2.50 हैक्टर पर आने–जाने हेतु खसरा संख्या 805, खसरा संख्या 1054/1035 से नक्शा ट्रेस में दर्शायेनुसार 5 मीटर की चौडाई में खसरा संख्या 805 के उतरी पश्चिमी छोर से खसरा संख्या 805 के मध्य होते हुए खसरा संख्या 1035/1054 में होता हुआ प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 796/1 के उतरी पश्चिमी छोर तक रास्ता बहाल किया जाता है रास्ते के उपयोग में ली गई कुल भूमि 680 वर्गमीटर ग्राम डांगाहेडी की डीएलसी दर 920000/– प्रति हैक्टर की दर से प्रतिकर 62560/–रूपये की दुगनी राशि 125120/– राजकोष में जमा कराने पर उक्तानुसार रास्ता प्रदत्त किया जाता है तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा।

तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रतिकर राशि 125120/– रूपये जर्ये चालान राजकोष में जमा करवाने पर प्रार्थी को प्रदत्त किया गया रास्ता राजस्व अभिलेखो में रास्ते के रूप में दर्ज किया जावें। उक्त रास्ते की भूमि का उपयोग/उपभोग सार्वजनिक होगां। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)